(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
9वां तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 3(21)/2006/डीबीसीपी/ 1-8

दिनांक: 12.4. 2013

अधिसूचना

जबकि दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं.4) की धारा 37 द्वारा यथा अपेक्षित दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2000 जो कि सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि में इसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियो से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए 1 जनवरी, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रचलित दिल्ली राजपत्र मे प्रकाशित की गई है, उसमें संशोधन करने के लिए दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारूप वाली सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित किया गया है।

और जबकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अब, इसलिए, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 4) की धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित और नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**.- (1) इन नियमों को दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जाए।
   (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **नियम 10 का संशोधन**.- दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2000 के नियम 10 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्न खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (घ) **शुल्क का प्रभार** -

❖ शुल्क परिषद् द्वारा निम्नानुसार लिया जाएगा :-

क्र.सं.	उद्देश्य	राशि (रूपये)
I.	रजिस्टर में नाम/पते के परिवर्तन के रिकार्ड के लिए	500
II.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता दर्ज करने के लिए	1000
III.	पंजीकरण/अस्थायी पंजीकरण की डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए	500
IV.	डुप्लीकेट पहचान पत्र जारी करने के लिए	150
V.	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए	100
VI.	अस्थायी पंजीकरण	2000
VII.	पंजीकरण	4000
VIII.	जारी (पंजीकरण का नवीनीकरण)	1250
IX.	मैडिकल प्रेक्टिसनरों के रजिस्टर में पुनःस्थापन के लिए शुल्क	2000
X.	पंजीकरण न कराने पर विलम्ब शुल्क	
	(क) उस तारीख से तीन माह की अवधि तक जिससे पंजीकरण होना था।	शून्य
	(ख) तीन माह से अधिक अवधि लेकिन छः माह तक	1000
	(ग) छः माह से अधिक अवधि लेकिन एक वर्ष तक	2000
	(घ) एक वर्ष से अधिक अवधि लेकिन पाँच वर्ष तक	4000
	(ङ) पाँच वर्षो से अधिक अवधि के लिए	4000 + 1500 प्रति वर्ष

XI.	पंजीकरण के नवीनीकरण न कराने पर विलंब शुल्क (क) उस तारीख से एक माह तक जिससे नवीकरण हेतु पंजीकरण होना था। (ख) एक माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन तीन माह तक की अवधि तक। (ग) तीन माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन छः माह तक की अवधि। (घ) छः माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन नौ माह तक की अवधि। (ड़) नौ माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन एक वर्ष तक की अवधि। (च) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए	शून्य 500 1000 1500 2000 2000 प्रति वर्ष लेकिन 4000 से अधिक नहीं
XII.	अच्छे कार्य के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु	500
XIII.	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु	750
XIV.	पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-1,4,8 एवं 14) सहित सूचना विज्ञप्ति जारी करने हेतु	200

”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुधीर कुमार

(सुधीर कुमार)
विशेष सचिव (स्वा. एवं प. क.)

नोट - मुख्य नियम सं.फा/22/42/98-स्वा. एवं प.क.-II/366 दि. 23.8.2001 एवं सं.फा. 3(21)/2006/डीबीसीपी/1953 दि. 31.8.2007 व सं.फा. 3(21)/2006/डीबीसीपी/492-500 दि. 7.6.2010 के द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

सं.फा. 3(21)/2006/डीबीसीपी/ 1-8 **दिनांकः-** 12.4.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार।

2 प्रधान सचिव, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), दिल्ली सरकार।

3 सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार।

4 उप सचिव, (जी.ए.डी.), दिल्ली सरकार (दो प्रतियाँ) दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशनार्थ।

5 अतिरिक्त सचिव, (विधि एवं न्याय विभाग), दिल्ली सरकार।

6 निदेशक, भा.चि.प.एवं हो. निदेशालय, दिल्ली सरकार।

7 रजिस्ट्रार, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद।

8 गार्ड फाइल।

सुधीर कुमार

(सुधीर कुमार)
विशेष सचिव (स्वा. एवं प. क.)